न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

UPHP010010212020

Sessions Case/150/2020

State of U.P. Vs. Manoj

सत्र परीक्षण संख्या 150/2020

मु0अ0सं0 440/2019

सरकार बनाम मनोज आदि

अ0धारा 498–ए,323,504,506 भा0दं0सं0 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 व 3(2)(va)एस0सी0एस0टी0एक्ट,

थाना : धौलाना

जिला : हापुड़

08.02.2024 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मनोज , ओमपाल, पायल जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498–ए,323,504,506 भा0दं0सं0, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 व 3(2)(va)एस0सी0एस0टी0एक्ट, के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 26.02.2024 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 08.02.2024

Digitally signed by Umakant jindal
Date: 2024.02.12 11:56:08 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court Hapur

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; **(UP-6234)**
UPHP010010212020

Sessions Case/150/2020
State of U.P. Vs. Manoj
सत्र परीक्षण संख्या 150/2020
मु0अ0सं0 440/2019
सरकार बनाम मनोज आदि
अ0धारा 498–ए,323,504,506 भा0दं0सं0
3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0
व 3(2)(va)एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना : धौलाना
जिला : हापुड़

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0 एस0टी0एक्ट,हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त मनोज , ओमपाल, पायल पर यह आरोप लगाता हूँ कि :

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 26.01.2019 से अदम तहरीर तक ग्राम पारपा बहद थाना धौलाना जिला हापुड में आपने वादिनी की पुत्री को 10 लाख रूपये दहेज की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादिनी की पुत्री के साथ मारपीट कर उपहति कारित की । इसके द्वारा आपने एक ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादिनी की पुत्री को बुरी – बुरी गालियां देकर उसे लोकशान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादिनी की पुत्री को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमतः यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादिनी की पुत्री को 10 लाख रूपये दहेज की मांग की और इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/ 4 के अधीन दण्डनीय है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

षष्टमतः यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादिनी की पुत्री , जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, को 10 लाख रूपये दहेज की मांग करते हुए प्रताडित किया, मारपीट कर उपहति कारित की, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग व गाली गलौच कर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी, इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 08.02.2024

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 08.02.2024